

23/11/2023 पत्रावली फेड 1 वहील उरुप पक्ष उपस्थित नही।  
वादीगण व वकील वादीगण से बार-बार  
आवाज लगाई कोई उपस्थित नही। अतः पत्रावली  
अदालत की दफ्तरी से 'खारिज' की जाती  
है। पत्रावली पेशकश हुआ होकर दारिद्र्य दफ्तरी  
हो व गवा से कत ही (000)

सहायक कलेक्टर, सांचीर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)

